रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33002/99
REGISTERED No. D.L.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2000/फाल्गुन 26, 1921 [रा॰रा॰रा॰क्षे॰दि॰ 68 71. 73
No. 10] DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2000/PHALGUNA 26, 1921 [N.C.T.D. 68. 71. 73

भाग—IV
PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं

Notifications of the Department of National Capital Territory Administration other than Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 10 मार्च, 2000

फा. 27/23/85-न्याय-2/अति.फा./खण्ड-2/195.—जनसाधारण की जानकारी के लिये निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है :—

"कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) ये विनियम उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति विनियम 1998 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं —

जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इन विनियमों में :—

(क) "अधिनियम" का अर्थ कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) है;

(ख) "राज्य प्राधिकरण" का अर्थ अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत गठित दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण;

(ग) "अध्यक्ष" का अर्थ उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष;

(घ) "समिति" का अर्थ उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति;

(ङ) "उच्च न्यायालय" का अर्थ नई दिल्ली पर दिल्ली उच्च न्यायालय;

(च) "कानूनी सेवा [illegible]" [illegible] कानूनी [illegible] लिए [illegible] सहायता;

(छ) "सचिव" का [illegible] समिति का सचिव;

(ज) "सचिव" का [illegible] की धारा 8(क) की उपधारा (3) के अन्तर्गत नियुक्त समिति का सचिव;

(झ) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी शब्द और अभिव्यक्तियां लेकिन जो परिभाषित नहीं है अधिनियम में नियत अर्थ ही होगा।

3. धारा 8–क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव तथा योग्यता :—

(1) उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति में अध्यक्ष सहित आठ सदस्य और निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:

(2) पदेन सदस्य

(1) सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।

(2) सचिव (वित्त विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।

(3) पुलिस आयुक्त, दिल्ली।

मुख्य न्यायाधीश नामित सदस्यों की श्रेणी में से चार सदस्यों को नामित करेगा।

(3) नामित सदस्य

कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सदस्य के रूप जब तक नामांकन के योग्य नहीं होगा तब तक वह :—

(क) स्नातक तथा प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता जो कमजोर वर्गों के उत्थान के कार्य में लगा हो जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पिछड़ा वर्ग, बच्चे, ग्रामीण और शहरी श्रमिक सम्मिलित हैं; अथवा

(ख) दो अधिवक्ता जो एक वर्ष की अवधि के लिये मुफ्त कानूनी सेवा में रुचि रखते हों; अथवा

(ग) चिकित्सा व्यवसाय का प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा समाजशास्त्र, मनोविज्ञान अथवा किसी अन्य विषय का प्रतिष्ठित प्रोफेसर;

(घ) कोई विधि अध्यापक अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कानूनी सेवा स्कीम के क्रियान्वन में विशेष रुचि रखता हो।

4. अधिनियम की धारा 8–क की उपधारा (3) के अन्तर्गत सचिव की नियुक्ति—

[illegible] उच्च न्यायालय का [illegible] न्यायाधीश, उच्च न्यायालय [illegible] सिफारिश पर विनियम [illegible] और योग्यताएं रखने वाले व्यक्ति [illegible] न्यायालय कानूनी सेवाएं समिति का सचिव नियुक्त [illegible]।

5. अधिनियम की धारा 8–क की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय कानूनी सेवाएं समिति के सचिव का अनुभव तथा योग्यताएं—

कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय कानूनी सेवाएं समिति सचिव के रूप में नियुक्ति के लिये जब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य न हो।

प्रशासनिक, वित्तीय तथा कानूनी अनुभव रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी।

6. उच्च न्यायालय सेवाएं समिति के सदस्यों तथा सचिव की कार्यकाल तथा उससे संबंधित अन्य शर्तें——

(1) समिति के सदस्य का कार्यकाल, पदेन सदस्य के अतिरिक्त एक वर्ष होगा।

(2) जहां एक व्यक्ति पदेन सदस्य के रूप में नामित होता है, ऐसा व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह उस पद अथवा कार्यालय के पद पर नहीं रहता है जिसके कारण उसे पदेन सदस्य के रूप में नामित किया था।

(3) समिति के कार्यालय में सदस्य की रिक्ति उसी तरीके से भरी जायेगी जैसे मूल नियुक्त सदस्य की होती है तथा नामित व्यक्ति उसी कार्यकाल तक रहेगा जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया है।

(4) सदस्य को बैठक में उपस्थित होने के लिये 300 रुपये यात्रा व्यय दिया जायेगा।

(5) सचिव का कार्यकाल दो वर्ष का होगा अथवा 60 वर्ष की आयु तक इसमें जो भी पहले हो।

(6) वेतन, भत्ते, लाभ तथा पात्रता जैसे सभी मामलों में नियमों द्वारा नियन्त्रित होगा जैसा कि उसके मूल कैडर में उस व्यक्ति पर समान पदधारी पर लागू है तथा अध्यक्ष द्वारा तैयार मानदेय प्राप्त करेगा।

(7) सचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर होगी।

(8) जहां तक अनुशासनात्मक मामलों का संबंध है सचिव अपने मूल कैडर की सेवा शर्तों से नियंत्रित होगा।

7. समिति की शक्तियां तथा कार्य :—

(1) जहां तक दिल्ली उच्च न्यायालय का संबंध है, कानूनी सेवाएं कार्यक्रम संचालित और क्रियान्वयन करना;

कानूनी सेवा के लिये आवेदन प्राप्त तथा उनकी जांच तथा कानूनी सेवा देने के लिये सभी प्रश्न तय करना अथवा कानूनी सेवा समाप्त करना।

(3) कानूनी सलाह उपलब्ध कराने के लिये उच्च न्यायालय में अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करना।

(4) कानूनी सेवा के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मानदेय के भुगतान, लागत, प्रभार तथा व्यय से संबंधित सभी मामलों का निर्णय करना।

(5) राज्य प्राधिकरण के लिये कानूनी सेवाएं कार्यक्रम से संबंधित रिटर्न, रिपोर्ट तथा सांख्यिकीय सूचना तैयार तथा प्रस्तुत करना।

8. अध्यक्ष के कार्य तथा शक्तियां--

(1) समिति के अध्यक्ष पर समिति के कार्यक्रमों का प्रशासनिक और क्रियान्वयन का पूर्ण प्रभार होगा।

बशर्ते कि कानूनी सेवा देने अथवा उसे समाप्त करने के किसी मामले में स्वयं सीधे तौर पर संबद्ध न हो।

(2) अध्यक्ष, सचिव के माध्यम से तीन माह की अवधि में कम से कम एक समिति की बैठक बुलाएगा।

(3) अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(4) अध्यक्ष के पास समिति की सभी शेष शक्तियां होंगी।

9. सचिव के कार्य तथा शक्तियां--

(1) सचिव समिति का प्रधान अधिकारी होगा तथा समिति की सभी परिसंपत्तियों, लेखों, अभिलेखों तथा निधियों का अभिरक्षक होगा।

(2) सचिव समिति की निधियों की प्राप्तियां तथा वितरण के लेखों को सही और उचित रखरखाव रखेगा या रखवाएगा।

(3) सचिव, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से राज्य प्राधिकरण के परामर्श से बैठक बुलाएगा तथा बैठकों में उपस्थित भी होगा और बैठकों के कार्यवाही के कार्यवृत के अभिलेखों के रखरखाव के लिये उत्तरदायी होगा।

10. समिति की बैठकें--

(1) समिति की तीन माह में कम से कम एक बार उस अध्यक्ष द्वारा निर्देशित तिथि तथा स्थान पर होगी।

(2) अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्यों के बीच में से सदस्यों द्वारा चुना गया व्यक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त का रखरखाव सचिव द्वारा सही तथा निष्ठापूर्वक रखा जायेगा तथा ऐसा कार्यवृत्त समिति के सदस्यों द्वारा सभी यथोचित बार निरीक्षण के लिये कार्यवृत्त की एक प्रति बैठक के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष को भेजी जायेगी।

(4) बैठक के कोरम में अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होंगे।

(5) समिति की बैठक में रखे जाने वाले सभी मामले उपस्थित सदस्यों के मतदान द्वारा मतों की बहुलता के आधार पर रहती है तो अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरे या निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

11. धारा 8 क की उपधारा (5) के अधीन उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या तथा उस धारा की उपधारा (6) के अधीन उनकी सेवा शर्तें तथा उन्हें देय वेतन तथा भत्ते :

(1) उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति में सचिवीय सहायता प्रदान करने तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या इन विनियमों की अनुसूची के अनुसार होगी या जैसा सरकार समय-समय अधिसूचित करें, उसके अनुसार होगी ;

(2) उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी इन विनियमों की अनुसूची में प्रत्येक पद के सामने दर्शाए गए वेतनमान में वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे या समान पदधारी सरकारी कर्मचारियों के अनुसार होंगे ;

(3) अन्य सभी मामलों जैसे :--सेवानिवृति आयु, वेतन एवं भत्ते, लाभ तथा प्रशासनात्मक मामलों में उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर वही नियम लागू होंगे जो समान पदधारी सरकार के कर्मचारियों पर लागू होंगे ;

(4) उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वही अन्य सुविधाएं/भत्ते तथा लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे।

12. कानूनी सेवा के हकदार--

धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन कानूनी सेवा का हकदार बनने वाले व्यक्ति को वार्षिक आय की अधिकतम सीमा, यदि मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में है, जिसकी वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 25,000 रु. (पच्चीस हजार रुपये मात्र) से अधिक नहीं है, वह अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधि-सेवा का हकदार होगा।